रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062024-254883
CG-DL-E-24062024-254883

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 319] | नई दिल्ली, सोमवार, जून 24, 2024/आषाढ 3, 1946 |
| No. 319] | NEW DELHI, MONDAY, JUNE 24, 2024/ASHADHA 3, 1946 |

## कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

## (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2024

**सा.का.नि. 342(अ).**—केंद्रीय सरकार, लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 (2024 का 1) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

### अध्याय 1

### प्रारंभिक

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) नियम, 2024 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. परिभाषाएं -** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 (2024 का 1) अभिप्रेत है ;

(ख) "केन्द्र समन्वयक" से विभिन्न सेवा प्रदाताओं और लोक परीक्षा प्राधिकरण के क्रियाकलापों के समन्वय के लिए तथा लोक परीक्षा प्राधिकरण में समन्वय करने के लिए और लोक परीक्षाओं के संचालन के लिए अधिसूचित सभी

संनियमों या मानकों और दिशानिर्देशों की अनुपालना को पूरा करने के लिए लोक परीक्षा केन्द्र पर तैनात लोक परीक्षा प्राधिकरण का कोई प्रतिनिधि अभिप्रेत है ;

(ग) "दिशानिर्देश" से केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दिशानिर्देश अभिप्रेत है ;

(घ) "संनियम या मानक" से केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक परीक्षाओं के संचालन के संबंध में समय-समय पर यथा अधिसूचित आज्ञापक अपेक्षाओं का सेट अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्रादेशिक अधिकारी" से सरकार के उप सचिव के रैंक से अनिम्न भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है जिसे लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के लिए पदाभिहित किया गया है, ;

(च) "स्थान भारसाधक" से विभिन्न सेवा प्रदाताओं के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करने, समन्वय करने और उनका प्रबंध करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोक परीक्षा का संचालन करने के लिए अधिसूचित संनियमों, मानकों और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है, परीक्षा संचालित करने वाले सेवा प्रदाता द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा, जो उनका उन अधिनियमों में है ।

## अध्याय 2

## लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अन्य सरकारी अभिकरणों की सेवाओं को नियोजित करना

**3. लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अन्य सरकारी अभिकरणों की सेवाओं को नियोजित करना-** (1) जब कोई लोक परीक्षा प्राधिकरण, लोक परीक्षा के संचालन के लिए किसी अन्य लोक परीक्षा प्राधिकरण की सेवाओं के लिए नियोजित किया जाता है, तो पश्चातवर्ती लोक परीक्षा प्राधिकरण 'सेवा प्रदाता' की परिभाषा के अधीन नहीं आएगा ;

(2) विद्यालय, शैक्षणिक संस्थाएं और अन्य परिसर, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और अन्य सरकारी संगठनों के स्वामित्व में हैं या नियंत्रण में हैं, वे 'सेवा प्रदाता' की परिभाषा के अधीन नहीं आएंगे ;

(3) यदि यह सिद्ध कर दिया जाता है कि उपनियम (2) में निर्दिष्ट संस्थाओं का कर्मचारिवृंद (जिसके अंतर्गत संविदा कर्मचारिवृंद भी है), अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या कोई अपराध कारित करता है, तो उस पर अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

## अध्याय 3

## कम्प्यूटर आधारित परीक्षण

**4. कम्प्यूटर आधारित परीक्षण –** (1) कम्प्यूटर आधारित परीक्षण के अंतर्गत अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रीकरण, केन्द्रों का आबंटन, प्रवेश-पत्रों का जारी किया जाना, लोक परीक्षा केन्द्रों में प्रश्नपत्रों को खोला जाना और वितरण करना, मूल्यांकन और अंतिम सिफारिशें करना, जैसे कार्यकलाप सम्मिलित हैं ।

(2) कम्प्यूटर आधारित परीक्षण के संबंध में प्रश्नपत्रों को खोलने और वितरित करने से लोक परीक्षा केन्द्र में मुख्य सर्वर से स्थानीय सर्वर में प्रश्नपत्र को डाउनलोड करना, जैसा कि लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किया जाए, संबंधित लोक परीक्षा केन्द्रों में अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय सर्वर से प्राधिकृत व्यष्टिक कंप्यूटरों में प्रश्नपत्रों को अपलोड और डिजिटल रूप में अंतरित करना अभिप्रेत है ।

## अध्याय 4

## कम्प्यूटर आधारित परीक्षण के लिए संनियम, मानक और दिशानिर्देश

**5. संनियम, मानक और दिशानिर्देश तैयार करना – (1)** केन्द्रीय सरकार के निमित्त, राष्ट्रीय भर्ती अभिकरण, पणधारियों के परामर्श से, परीक्षा के कम्प्यूटर आधारित परीक्षण रीति के लिए संनियम, मानक और दिशानिर्देश तैयार करेगा और इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा ।

(2) संनियम, मानक और दिशानिर्देश के अंतर्गत भौतिक और डिजिटल अवसंरचना तथा क्रियाकलाप शामिल होंगे, जिसके अंतर्गत –

(क) लोक परीक्षा केन्द्रों के रजिस्ट्रीकरण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया ;

(ख) कम्प्यूटर आधारित परीक्षण केन्द्रों के भीतर स्थान की अपेक्षा ;

(ग) बैठने की व्यवस्था को प्रदर्शित करना ;

(घ) कम्प्यूटर नोड्स की विशिष्टियां और उसका प्रदर्शन ;

(ङ) सर्वर और नेटवर्क अवसंरचना की विशिष्टियां ;

(च) कम्प्यूटर आधारित परीक्षण के संचालन के लिए इलैक्ट्रानिकी प्लेटफार्म की विशिष्टियां ;

(छ) परीक्षा-पूर्व क्रियाकलाप जैसे लोक परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा की तैयारी के लिए पूर्व-संपरीक्षा ;

(ज) अभ्यर्थियों का प्रवेश, बायोमैट्रिक रजिस्ट्रीकरण, सुरक्षा और छानबीन ;

(झ) सीट आबंटन ;

(ञ) प्रश्नपत्र सेट करना और लोड करना ;

(ट) परीक्षा में अधीक्षण ;

(ठ) परीक्षापश्चात् क्रियाकलाप ; जांच सूची और घोषणाएं ;

(ड) लेखक उपलब्ध कराने के लिए दिशानिर्देश ; और

(ढ) लोक परीक्षा के संचालन से सहबद्ध कोई अन्य क्रियाकलाप ।

## अध्याय 5

## लोक परीक्षा के लिए केन्द्र समन्वयक

6. लोक परीक्षा प्राधिकरण, केन्द्र समन्वयक या कोई अन्य लोक परीक्षा से संबंधित कर्तव्यों को सौंपने के लिए, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों और अन्य सरकारी संगठनों में सेवारत या से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं ले सकेगा ।

## अध्याय 6

## अनुचित साधनों या अपराधों की घटनाओं की रिपोर्ट करना

**7. अनुचित साधनों या अपराधों की घटनाओं की रिपोर्ट करना.– (1)** यदि लोक परीक्षा के संचालन से संबंधित अनुचित साधनों या अपराध की कोई घटना कारित होती है तो स्थान भारसाधक अपने निष्कर्षों के साथ प्ररूप-1 में एक रिपोर्ट तैयार करेगा। प्ररूप 1 की रिपोर्ट को केन्द्र समन्वयक के माध्यम से प्रादेशिक अधिकारी को भेजा जाएगा । यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट को फाइल करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो स्थान भारसाधक आवश्यक कार्रवाई करेगा । प्रादेशिक अधिकारी प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा कर सकेगा और समुचित कार्रवाई करेगा, जिसके अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल करना सम्मिलित हो सकेगा ।

(2) सेवा प्रदाता के प्रबंधन या निदेशक बोर्ड के स्तर से नीचे के व्यक्तियों की दशा में, जो अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं या कोई अपराध कारित करते हैं या किसी अपराध को कारित करने को सुकर बनाने में शामिल होते हैं या अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसार घटना की रिपोर्ट करने में असफल रहते हैं, तो केन्द्र समन्वयक, प्ररूप-2 में प्रादेशिक अधिकारी को मामले की रिपोर्ट करेगा । प्रादेशिक अधिकारी जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी सेवा प्रदाता का प्रतिनिधि परीक्षा केन्द्र स्तर पर संलिप्त है, तो वह केन्द्र समन्वयक को प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल करने का निदेश देगा । यदि प्रादेशिक अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल करने की आवश्यकता नहीं है तो वह ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा ।

(3) यदि प्रादेशिक अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रथम दृष्टया, सेवा प्रदाता के प्रबंधन या निदेशक बोर्ड की संलिप्तता हैं तो वह घटना के ब्यौरों की रिपोर्ट अपने निष्कर्षों और प्ररूप-2 के साथ लोक परीक्षा प्राधिकरण को करेगा ।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट मामलों को लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा गठित समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो प्रादेशिक अधिकारी के रिपोर्ट की जांच करेगी और समुचित निर्णय करने के लिए लोक परीक्षा प्राधिकरण को अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करेगी ।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट समिति, लोक परीक्षा प्राधिकरण से एक ज्येष्ठ कार्मिक, लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विशेषज्ञ सदस्य और मंत्रालय या विभाग, जिसको लोक परीक्षा प्राधिकरण रिपोर्ट करता है, से एक सदस्य (जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो) से मिलकर बनेगी ।

(6) लोक परीक्षा के संचालन से संबंधित अनुचित साधनों या अपराधों की सभी घटनाओं की रिपोर्ट प्रादेशिक अधिकारी द्वारा समय-समय पर की गई कार्रवाई के ब्यौरों के साथ लोक परीक्षा प्राधिकरण को की जाएगी ।

## अध्याय 7

## लोक सेवक के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

**8. लोक सेवक के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया – (1)** लोक परीक्षा प्राधिकरण, लोक परीक्षा के संचालन के लिए तैनात लोक सेवक के कार्यों के संबंध में प्रादेशिक अधिकारी की या अन्यथा रिपोर्ट की प्राप्ति पर जांच करेगा कि क्या लोक सेवक द्वारा लोक परीक्षा के संचालन में की गई कोई बात सदभावपूर्वक की गई थी, जैसा कि अधिनियम की धारा 14 में निर्दिष्ट है ।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा एक समिति का गठन किया जा सकेगा, जिसका अध्यक्ष संयुक्त सचिव या समतुल्य की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी होगा और यह लोक परीक्षा प्राधिकरण से एक ज्येष्ठ अधिकारी तथा लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी विशेषज्ञ से मिलकर बनेगी ।

(3) समिति, सभी सुसंगत सूचना की जांच करेगी और अपने निष्कर्षों को समुचित कार्रवाई करने के लिए लोक परीक्षा प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी ।

## अध्याय 8

## मानीटर करना

9. प्रत्येक लोक परीक्षा प्राधिकरण, इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन की मानीटरी करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा ।

## प्ररूप – 1

**[नियम 7 देखें]**

## स्थान भारसाधक द्वारा अनुचित साधनों या अपराध को रिपोर्ट करने के लिए रूपविधान

### भाग 1: प्रारंभिक ब्यौरे

1. लोक परीक्षा प्राधिकरण का नाम

2. लोक परीक्षा का ब्यौरा (तारीख और केन्द्र का स्थान सहित)

3. शिकायतकर्ता का नाम और पहचान

(पहचान सबूत की प्रति संलग्न करें)

4. अनुचित साधनों या अपराध के घटित होने की तारीख और स्थान:

### भाग 2: अनुचित साधनों या अपराध के ब्यौरे

1. अनुचित साधनों या अपराध के ब्यौरे

2. संलिप्त व्यक्तियों के ब्यौरे:

### भाग 3: उपलब्ध सामग्री (साक्ष्य)

अनुचित साधनों या अपराध के संबंध में उपलब्ध शिकायत की प्रति, अन्य दस्तावेज़, साक्ष्य या कोई अन्य सुसंगत सामग्री

**भाग 4: साक्षियों की विशिष्टियां**

ब्यौरे (नाम, पता, संपर्क ब्यौरे और पहचान सबूत)

**भाग 5: निष्कर्ष**

1. क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करना और उसका कारण देना अपेक्षित है

2. कोई अन्य सिफारिश/टिप्पण

3. केन्द्र समन्वयक को रिपार्ट भेजने की तारीख और समय

(हस्ताक्षर)

स्थान भारसाधक का नाम और पूर्ण ब्यौरे

**प्ररूप-2**

**[नियम 7 देखें]**

**यदि सेवा प्रदाता या लोक सेवक संलिप्त है तो अनुचित साधनों या अपराध के बारे में रिपोर्ट करने हेतु केन्द्र समन्वयक द्वारा उपयोग के लिए रूपविधान**

**भाग 1: प्रारंभिक ब्यौरे**

1. लोक परीक्षा प्राधिकरण का नाम

2. लोक परीक्षा का ब्यौरा (तारीख और केन्द्र का स्थान सहित)

3. सेवा प्रदाता का ब्यौरा

4. शिकायतकर्ता का नाम और पहचान (पहचान सबूत की प्रति संलग्न करें)

**भाग 2: अनुचित साधनों या अपराध के ब्यौरे**

1. सेवा प्रदाता के संलिप्त व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम

2. संलिप्त लोक सेवक (लोक सेवकों) के नाम

3. अनुचित साधनों या अपराध का ब्यौरा

**भाग 3: उपलब्ध सामग्री (साक्ष्य)**

अनुचित साधनों या अपराध के संदर्भ में उपलब्ध शिकायत की प्रति, अन्य दस्तावेज़, साक्ष्य या कोई अन्य सामग्री

**भाग 4: साक्षियों की विशिष्टियां**

ब्यौरे (नाम, पता, संपर्क ब्यौरे और पहचान सबूत)

**भाग 5: क्षेत्रीय अधिकारी के लिए सिफारिश**

(हस्ताक्षर)

केन्द्र समन्वयक का नाम और पूरा ब्यौरा

(प्रादेशिक अधिकारी को भेजी जाने वाली रिपोर्ट की तारीख और समय)

[फा. सं. 39020/12/2023-पीपी(बी.I)]

मनोज कुमार द्विवेदी, अपर सचिव

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

**(Department of Personnel And Training)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd June, 2024

**G.S.R. 342(E).—**In exercise of the powers conferred by section 16 of the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 (1 of 2024), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

**CHAPTER-I**

**PRELIMINARY**

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.- (**1) In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) 'Act' means the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 (1 of 2024);

(b) "centre coordinator" means a representative of the public examination authority deputed at public examination centre for coordination of activities of different service providers and public examination authority; and for overseeing the compliance of all norms or standards and guidelines notified for conduct of public examinations;

(c) "guidelines" means the guidelines notified by the Central Government from time to time;

(d) "norms or standards" means set of mandatory requirements with regard to the conduct of public examinations, as notified by the Central Government, from time to time;

(e) "Regional Officer" means an officer-in-charge, not below the rank of Deputy Secretary to the Government, designated for the region, by the public examination authority;

(f) "venue-in-charge" means a person nominated by the examination conducting service provider to supervise, coordinate and manage the activities of different service providers and to ensure that the norms or standards and the guidelines notified for conduct of public examination are complied with.

(2) Words and expressions used herein but not defined and defined under any other law for the time being in force, shall have the same meaning as assigned to them in those Acts.

**CHAPTER II**

**ENGAGEMENT OF SERVICES OF OTHER GOVERNMENT AGENCIES BY THE PUBLIC EXAMINATION AUTHORITY**

3. **Engagement of services of other government agencies by public examination authority.-** (1) When a public examination authority engages the services of another public examination authority for conduct of public examination, the latter public examination authority shall not be covered under the definition of 'service provider':

(2) The schools, educational institutions and other premises owned or controlled by the Central Government or State Government, Public Sector Undertakings, autonomous bodies and other Government Organisations shall not be covered under the definition of 'service provider'.

(3) If it is established that the staff (including contractual staff) of the institutions referred to in sub rule (2) resorts to unfair means or commits an offence, he shall be dealt with in accordance with the relevant provisions of the Act.

**CHAPTER-III**

**COMPUTER BASED TEST**

4. **Computer Based Test.-** (1) The computer based test includes activities, such as registration of candidates, allocation of centres, issue of admit cards, opening and distribution of question papers at public examination centres, evaluation and final recommendations.

(2) The opening and distribution of question papers, in relation to computer based test means downloading the question paper from the main server to the local server in the public examination centre, as authorized by the public examination authority, uploading and digitally transferring the question papers from the local server to individual computers authorised for the candidates in the concerned public examination centres.

## CHAPTER-IV

## NORMS, STANDARDS AND GUIDELINES FOR THE COMPUTER BASED TEST

5. **Preparations of norms, standards and guidelines.-** (1) The National Recruitment Agency, on behalf of the Central Government, shall in consultation with the stakeholders, prepare norms, standards and guidelines for the computer based test mode of examination, which shall be notified by the Central Government.

(2) The norms, standards and guidelines shall cover physical and digital infrastructure and activities which include -

(a) standard operating procedure for registration of public examination centres;

(b) space requirement within the computer based test centres;

(c) layout of the seating arrangement;

(d) specifications and layout of computer nodes;

(e) specifications for the server and network infrastructure;

(f) specifications for electronic platform for conduct of computer based test;

(g) pre-examination activities, such as pre-audit for the examination readiness of the public examination centres;

(h) candidate check in, biometric registration, security and screening;

(i) seat allocation;

(j) question paper setting and loading;

(k) invigilation in the examination;

(l) post examination activities; checklist and declarations;

(m) guidelines for providing scribes; and

(n) any other activity associated with conduct of public examination.

## CHAPTER-V

## CENTRE COORDINATOR FOR PUBLIC EXAMINATION

6**.** The public examination authority may avail services of serving or retired employees of the Central Government, State Government, Public Sector Undertakings, Public Sector Banks, Government Universities, autonomous bodies and other Government Organisations for assigning duty as Centre Coordinator or any other public examination related duties.

## CHAPTER-VI

## REPORTING OF INCIDENTS OF UNFAIR MEANS OR OFFENCES

7. **Reporting of incidents of unfair means or offences.**- (1) If any incident of unfair means or offence in connection with the conduct of public examination occurs, the venue-in-charge shall prepare a report along with his findings in *Form 1.* The report in Form 1 shall be sent to the Regional Officer through Centre Coordinator. If a *prima facie* case is made out for filing of First Information Report, the venue-in-charge shall take necessary action. Regional Officer may review the report received and cause appropriate action to be taken, which may include filing of First Information Report.

(2) In case, persons, below the level of Management or Board of Directors of the service provider, resort to unfair means or commit an offence or are involved in facilitating an offence, or fail to report the incident as per sub-section (2) of section 8 of the Act, the Centre Coordinator shall report the matter to the Regional Officer in *Form 2.* The Regional Officer shall enquire and if satisfied that representative of any service provider at examination center level is involved, he shall direct the Centre Coordinator to file the First Information Report. In case, the Regional Officer arrives at a conclusion that no First Information Report is required to be filed, he shall record reasons therefor.

(3) In case, the Regional Officer concludes that, *prima facie*, there is involvement of Management or Board of Directors of service provider, he shall report the details of the incident, enclosing his findings, along with *Form 2* to the public examination authority.

(4) The cases referred in sub-rule (3) shall be referred to a committee to be constituted by the public examination authority which shall examine the report of the Regional Officer and submit its findings to the public examination authority for appropriate decision.

(5) The committee referred to in sub-rule (4), shall comprise of a senior official from the public examination authority, an expert member to be nominated by the public examination authority and a member from the Ministry or Department (not below the rank of Director) to which the public examination authority reports.

(6) All incidents of unfair means or offence in connection with the conduct of public examination shall be reported to the public examination authority by Regional officer along with the details of action taken from time to time.

## CHAPTER-VII

## PROCEDURE TO BE FOLLOWED IN RESPECT OF PUBLIC SERVANT

8. **Procedure to be followed in respect of public servant.-** (1) The public examination authority, on receipt of report of Regional officer or otherwise, regarding the actions of a public servant deputed for conduct of public examination shall examine whether anything done in conduct of public examination by the public servant was in good faith as referred to in section 14 of the Act.

(2) A committee may be constituted by the public examination authority for the purpose of sub rule (1), which shall be headed by an officer not below the rank of Joint Secretary or equivalent and shall comprise of one senior officer from the public examination authority and an expert to be nominated by the public examination authority

(3) The Committee shall examine all relevant information and submit its finding to the public examination authority for appropriate action.

## CHAPTER-VIII

## MONITORING

9. Every public examination authority shall set up a mechanism for monitoring the implementation of provisions of the Act.

## FORM -1

**[See rule 7]**

## FORMAT FOR REPORTING OF UNFAIR MEANS OR OFFENCE BY VENUE IN CHARGE

### PART 1: PRELIMINARY DETAILS

1. Name of public examination authority

2. Details of public examination (including date and location of centre):

3. Name and identity of complainant

   *(Attach copy of identity proof)*

4. Date and place of occurrence of unfair means or offence:

### PART 2: DETAILS OF UNFAIR MEANS OR OFFENCE

1. Details of unfair means or offence

2. Details of persons involved:

### PART 3: MATERIAL (EVIDENCES) AVAILABLE

Copy of complaint, other documents, evidence or any other relevant material available with reference to the unfair means or offence

### PART 4: PARTICULARS OF WITNESSES

Details (Name, address, contact details and identity proof)

### PART 5: FINDINGS

1. Whether filing of First Information Report is required and reasons thereof

2. Any other recommendation/ remark

3. Date and time of sending the report to the Centre Coordinator

(Signature)

Name and complete details of Venue-In-Charge

**FORM -2**

**[See rule 7]**

**FORMAT FOR USE BY CENTRE COORDINATOR FOR REPORTING OF UNFAIR MEANS OR OFFENCE IN CASE SERVICE PROVIDER OR A PUBLIC SERVANT IS INVOLVED**

**PART 1: PRELIMINARY DETAILS**

1. Name of public examination authority
2. Details of public examination (including date and location of centre)
3. Details of service provider
4. Name and identity of complainant *(Attach copy of Identity proof)*

**PART 2: DETAILS OF UNFAIR MEANS OR OFFENCE**

1. Name of person(s) of service provider involved
2. Name of the public servant(s) involved
3. Details of unfair means or offence

**PART 3: MATERIAL (EVIDENCES) AVAILABLE**

Copy of complaint, documents, evidence or any other material available with reference to unfair means or offence

**PART 4: PARTICULARS OF WITNESSES**

Details (Name, address, contact details and identity proof)

**PART 5: RECOMMENDATION FOR REGIONAL OFFICER**

(Signature)

Name and full details of Centre Coordinator

(Date and time of sending report to Regional Officer)

[F.No. 39020/12/2023-PP(B.I)]

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.06.24 14:09:02 +05'30'